

कार्य मंत्रणा समिति
(सत्रहवीं लोक सभा)

सत्रहवां प्रतिवेदन
(19.9.2020 को प्रस्तुत)

कार्य मंत्रणा समिति की बैठक शनिवार, 19 सितम्बर, 2020 को हुई।

2. समिति ने कार्य की निम्नलिखित मदों के लिए उनके सामने दर्शाए गए समय के आवंटन की सिफारिश की:-

(1) उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 <i>(विचार तथा पारित करना)</i>	3 घंटे एक साथ ली जाएंगी
(2) सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 <i>(विचार तथा पारित करना)</i>	
(3) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 <i>(विचार तथा पारित करना)</i>	
(4) जम्मू-कश्मीर राजभाषा विधेयक, 2020 <i>(विचार तथा पारित करना)</i>	1 घंटा
(5) राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग विधेयक, 2020, राज्य सभा द्वारा इसे पारित किए जाने के पश्चात <i>(विचार तथा पारित करना)</i>	2 घंटे
(6) विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2020 <i>(विचार तथा पारित करना)</i>	1 घंटा

नई दिल्ली;
19 सितम्बर, 2020
28 भाद्रपद, 1942 (शक)

(ओम बिरला)
सभापति
कार्य मंत्रणा समिति